(TO BE PUBLISHED IN PART-V SECTION – II OF DELHI GAZETTE ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

No. F. 8(37)/2009/DAM/MR/ 9186

Dated: 10 66 12011

NOTIFICATION

No. F. 8(37)/2009/DAM/MR/ In exercise of the powers conferred by section 43 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999) and consequent upon the election of Chairman and Vice-Chairman of the Fish, Poultry and Egg Marketing Committee, Delhi, during the first meeting of the aforesaid Marketing Committee, held on 10.06.2011, I Kailash Chandra, Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi, hereby notify the following names of Chairman and Vice-Chairman of the aforesaid Marketing Committee: -

- Ch. Riyasat Ali
 S/o Sh. Shoukat Ali
 H.No. 167, Gali No. 08, Ramesh Park,
 Laxmi Nagar, Delhi.
- Sh. Syed Irfan Mir S/o Late Sh. Syed Hasham Mir H.No. 2911, Lal Darwaza, Lal Kuan, Firkiwalan, Hauz Kazi, Delhi-110006.

Chairman

: Vice-Chairman

The terms of the office of the Chairman and Vice-Chairman of the aforesaid Marketing Committee shall be as per the provisions under section 44 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998.

By order,

(Kailash Chandra) Director, Agricultural Marketing

No. F. 8(37)/2009/DAM/MR/9187 - 9210

Dated: 10 10 6 12 011

Copy to:-

- 1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
- The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad
- 3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
- 4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- 9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Ordinary Gazette, Part-V Section II and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- 10. The Chairman/Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Mori Gate and Flower Marketing Committee, Delhi.
- 11 The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
- 12 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
- 13 The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
- 14 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
- 15 Guard file.

(Kailash Chandra) Director, Agricultural Marketing

(दिल्ली साधारण गजट के भाग-5 खण्ड-।। में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं.एफ 8(37)/2009/डी०ए०एम०/एम०आर०/91% 6

दिनांक: 10/06/2011

अधिसूचना

सं.एफ 8(37) / 2009 / डी०ए०एम० / एम०आर० / दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 43 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति के पहली बैठक दिनांक 10.06.2011 में चैयरमेन व वाईस चैयरमेन के चुनाव के उपरान्त, मैं कैलाश चन्द्र, निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों के नामो को उपरोक्त विपणन समिति का चैयरमेन व वाईस चैयरमेन अधिसूचित करता हूँ:—

 चौ० रियासत अली सुपुत्र श्री शौकत अली म.न. 167, गली नं० 08, रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। चैयरमेन

 श्री सैयद इरफान मीर सुपुत्र स्व० श्री सैयद हासम मीर म.न. 2911, लाल दरवाजा, लाल कुंआ, फिरकीवालान, होजकाजी, दिल्ली—110006. वाईस चैयरमेन

उपरोक्त चैयरमेन व वाईस चैयरमेन का कार्यकाल दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 44 के अर्न्तगत प्रावधान के अनुसार होगा।

आदेश पर,

केलाश चन्द्र) (कैलाश चन्द्र) निदेशक, कृषि विपणन सं.एफ ४(३७) / २००९ / डी०ए०एम० / एम०आर० / ११४७ - ९२ । ०

दिनांक: 10/06/2011

प्रतिलिपि:-

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

- प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- सिचव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सिचवालय, नई दिल्ली।
- 6 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

7 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

8 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।

9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली साधारण गजट भाग-5 खंड-।। में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).

10 अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति,

गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, मोरी गेट एवम पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।

11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

15 गार्ड फाईल।

केलाश चन्द्र)

निदेशक, कृषि विपणन